सं.1-3/2008-संस्था-II(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 07 अक्तूबर , 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए 01.07.2013 से लागू महंगाई भत्ते की दरें।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के 2 मई, 2013 के समसंख्यक का.ज्ञा. का अवलोकन करने का निदेश हुआ है जिसके तहत केन्द्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारियों के संबंध में महंगाई भत्ता संशोधित किया गया है जो पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार **संशोधन-पूर्व वेतनमानों** में अपना वेतन आहरित कर रहे हैं।

2. केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के उपर्युक्त श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य महंगाई भत्ते की दरें दिनांक 01.07.2013 से मौजूदा 166 प्रतिशत से बढ़ाकर 183 प्रतिशत कर दी जाएंगी। 03 अक्तूबर, 2008 के समसंख्यक का.ज्ञा. में दी गई अन्य सभी शर्तें लागू रहेंगी।

3. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले संगठनों के ध्यान में भी लाया जाए जिन्होंने केन्द्र सरकार के वेतनमानों को अंगीकार किया है।

सुभाष चंद

(सुभाष चंद)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रति अग्रेषित: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित) (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।